रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938
No. 1249] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ.1829(अ).—जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 7072वीं बैठक में 5 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत संकल्प 2027 (2013) अंगीकृत किया था जिसमें सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) को उनके क्षेत्रों या उनके नागरिकों द्वारा या उनके झंडे वाले वाहनों का उपयोग करके या वायुयानों का प्रयोग करते हुए, सभी प्रकार के हथियार और उनसे संबंधित सामग्री, जिसमें आयुद्ध और गोला-बारूद, सैन्य वाहन और उपकरण, अर्द्धसैन्य उपकरण और उपर्युक्त उल्लिखित हेतु अतिरिक्त पुर्जे और तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, सैन्य क्रियाकलापों से संबंधित या किन्हीं शस्त्रों और संबंधित सामग्री के प्रयोग या उपाबंध, रख-रखाव जिसमें भाड़े पर लिए गए सशस्त्र कार्मिकों का उपाबंध शामिल हैं जोकि उनके क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है;

और जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 7103वीं बैठक में 28 जनवरी, 2014 को संकल्प 2034 (2014) को अंगीकृत किया जिसमें संकल्प 2034 (2014) के पैरा 32 के अनुसरण में और संकल्प 2027 (2013) के पैरा 57 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यष्टिकों को उनके क्षेत्र द्वारा प्रवेश करने या यात्रा करने से रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए जोकि 2013 के संकल्प 2127 के पैरा 57 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यक्तियों या निकायों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाले या व्यक्तियों द्वारा या उनके आधार पर या उनके निर्देशन पर कार्य करने वाले निकायों या उनके द्वारा स्वामित्व वाले या नियंत्रित निकायों द्वारा उनके क्षेत्रों में सभी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों को बिना किसी देरी के सभी सदस्य राज्यों द्वारा स्थायीकरण करने की अपेक्षा की जाती है;

और जबकि, 22 जनवरी (2015) को स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संकल्प 2196 (2015) में सभी राष्ट्रों से संकल्प 2134 (2014) और 2127 (2013) में दिए गए उपाबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन करने की अपेक्षा की गई है।

और जबकि, केंद्रीय सरकार केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात सीएआर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अपनाए गए सुरक्षा परिषद के

उक्त संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43वां) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः अब केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947का 43वां) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने हेतु निम्निलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य आदेश, 2016 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "संकल्प" से अभिप्रेत है जो सीएआर की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकार किए गए संकल्प 2121 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014) और 2181 (2014), 2196 (2015), और 2217 (2015) और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के बारे में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत 5 दिसंबर, 2013 को अंगीकृत किया गया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संकल्प 2127 (2013);

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है कि सुरक्षा परिषद द्वारा तैयार अवधारणा के आधार पर उनके उक्त संकल्प में बनाए गए इस आदेश से संलग्न अनुसूची है;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है जो संकल्प 2127 (2013) के पैराग्राफ 57 के तदनुसार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है।

(2) इन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त किया गया है किंतु इस आदेश में परिभाषित नहीं किया गया है और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधियों में इनके अर्थ की व्याख्या की गई है व ऐसी विधियों में उन्हें प्रदान किया गया है।

3. व्यष्टिकों और असितत्व पर आदेश का उपयोग:- इस आदेश के उपाबंध, जिन्हें कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में और इस आदेश से संलग्न अनुसूची के उपाबंध 2 में आने वाले व्यष्टिकों और असितत्वों पर लागू होगा।

इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, व्यष्टिक और असितत्व शब्द का अर्थ समय-समय पर ऐसी समिति द्वारा नामोदिष्ट और अद्यतन और इसकी वेबसाइट: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml में विनिर्दिष्ट व्यक्ति और निकाय

4. संकल्प को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियां:- सुसंगत विधियों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पास आवश्यक उपाय करने की सभी शक्तियां होंगी।

(1) शस्त्र प्रतिरोध

(क) केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) को उनके क्षेत्रों या उनके राष्ट्रिकों द्वारा या उनके झंडे वाले वाहनों का उपयोग करके या वायुयानों का उपयोग करते हुए, सभी प्रकार के शस्त्र और उनसे संबंधित सामग्री, जिसमें आयुद्ध और गोला-बारूद, सैन्य वाहन और उपकरण, अर्द्धसैन्य उपकरण और उपर्युक्त उल्लिखित हेतु अतिरिक्त पुर्जे और तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, सैन्य क्रियाकलापों से संबंधित या किन्हीं शस्त्रों और संबंधित सामग्री के उपयोग या उपाबंध, रख-रखाव जिसमें भाड़े पर लिए गए सशस्त्र कार्मिकों का उपाबंध सम्मिलित हैं जोकि उनके क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति की रोकथाम।

(ख) मदों को अधिग्रहण करना, रजिस्टर करना और बिक्री करना (जैसे कि विनाश, अप्रभावी, प्रतिपादन, भंडारण या निस्तारण के लिए लक्ष्य राष्ट्र या मूल राष्ट्र के अलावा राष्ट्र को स्थानांतरित करने हेतु) की आपूर्ति, बिक्री, स्थानांतरण या निर्यात जिसे कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 1 द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है।

परंतु कि सैन्य प्रतिरोध के उपर्युक्त उपाबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे अर्थात:-

(i) केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त बहुआयामी एकीकृत स्थायीकरण मिशन (एमआईएमयूएससीए), अफ्रीकी संघ- क्षेत्रीय राष्ट्र कार्यबल (एयू-आरटीएफ), और यूरोपियन संघ मिशनों और सीएआर में नियुक्त फ्रांसीसी सेनाओं (जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 1 के उप-पैरा में उल्लेख किया गया है) द्वारा आपूर्ति के लिए या उपयोग के लिए की गई आपूर्तियां।

(ii) सीएआर में एमआईएनयूएससीए, एयू-आरटीएफ, यूरोपीय संघ मिशन और फ्रांसीसी बल को संगठनात्मक सलाह या सीएआर सरकारी बलों को गैर-परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जैसा कि उनके आदेश के कार्यान्वयन के लिए संगत है, और इन बलों को अपनी नियमित रिपोर्टों के भाग के रूप में परिषद को इस बारे में अपनाए गए उपायों और रिपोर्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है। (जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 1 के उपपैरा (ख) में कथित किया गया है।)

(iii) केवल मानवतावादी या प्रतिरक्षा उपयोग के लिए अभीष्ट गैर-घातक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति तथा समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित (जैसा कि संकल्प 2196 (2015) संकल्प के पैरा 1 के उपपैरा (ग) में कथित किया गया है।)

(iv) संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों, मीडिया, मानवता और विकास कार्यकर्ताओं तथा संबद्ध कार्मिकों के प्रतिनिधियों द्वारा 'कार' को अस्थायी तौर पर निर्यात किए गए रक्षात्मक वस्त्र जैसे फ्लैक जैकेट, मिलिट्री हेलमेट, का केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए (जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 1 के उप पैरा (घ) में कथित है);

(v) छोटे आयुधों तथा अन्य संबंधित उपस्करों की आपूर्ति जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय गश्ती के लिए संघ-ड्राई नेशनल संरक्षित क्षेत्र में अवैध शिकार, हाथीदांत तथा हथियारों की तस्करी तथा कार के राष्ट्रीय विधि के विपरित अन्य गतिविधियों या 'कार' के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। (जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैरा 1 के उप पैरा (ङ) में कथित है);

(vi) 'कार' सुरक्षा सेनाओं को आयुध और अन्य घातक हथियार की आपूर्ति जिसे सुरक्षा सेक्टर सुधार की 'कार' प्रक्रिया (एसएसआर) में उपयोग के लिए समर्थन दिया जा सके जैसा कि समिति द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदन दिया गया है जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैरा 1 के उप पैरा (च) में कथित है;

(vii) अन्य बिक्री या आयुधों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति या सहायता अथवा कार्मिक का उपाबंध जैसा कि समिति द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदन दिया गया है। (जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैरा 1 के उप पैराग्राफ (छ) में कथित है);

(2) यात्रा पाबंदी

समिति द्वारा अभिहित व्यष्टिकों को अपने राज्यक्षेत्र के माध्यम से प्रवेश या अभिवहन रोकना बशर्ते कि इस पैरा में कही गई कोई भी बात किसी राज्य को अपने राष्ट्रिको को अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि यात्रा पाबंदी से संबंधित पूर्वोक्त उपाबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे अर्थातः-

(i) मानवीय आवश्यकता, धार्मिक बाध्यता जिसमें मामला दर मामला आधार पर निर्धारित दायित्व शामिल हो (जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैरा 5 के उप पैराग्राफ (क) में कहा गया है;)

(ii) किसी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रविष्टि या ट्रांजिट (जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैराग्राफ 5 के उप पैरा (ख) में कथित है);

(iii) 'कार' में शांति और राष्ट्रीय सुलह के उद्देश्य को आगे बढ़ाना और क्षेत्र में स्थिरता जैसा कि मामला दर मामला आधार पर अवधारित किया गया है। (जैसा कि संकल्प संख्या 2196 (2015) के पैरा 5 के उप पैरा (ग) में कथित है);

(3) आस्ति पर रोक लगाना

(क) अविलंब उन पर सभी निधियां, वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों जो उनके राज्यक्षेत्र में हों या समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण में हों या उनकी ओर से या उनके निदेश पर कार्यरत व्यष्टिकों या संस्थाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं के स्वामित्व या नियंत्रण में हों पर रोक लगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि उनके राष्ट्र को या व्यष्टिकों या उनके राज्यक्षेत्र में स्थित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यष्टिकों या संस्थाओं के फायदे के लिए न किया जाए;

परंतु आस्ति अवरोधन के उपरोक्त उपाबंध निम्नलिखित मामलों में निधियों और अन्य आर्थिक उपायों पर लागू नहीं होंगे, अर्थातः-

i) भारत सरकार द्वारा जिन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक माना गया है जिनमें खाद्य पदार्थ, किराया या रेहन, दवाइयां और चिकित्सा उपचार कर, बीमा प्रीमियम और सार्वजनिक जनोपयोगी प्रभार शामिल हैं या जो राष्ट्रीय विधियों के अनुसार विधिक सेवाओं के उपाबंध से जुड़े उद्भूहित व्यय की प्रतिपूर्ति या उचित वृत्तिक फीस की भुगतान के लिए हों या राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो फीस या सेवा प्रभार नेमी जोत या अवरोधित निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के लिए हों जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 8 के उप पैरा (क) में कथित है;

ii) जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 8 के उप पैरा (ख) में यथावर्णित समिति द्वारा यथाअनुमोदित असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक हो;

iii) न्यायिक, प्रशासनिक या विवाचन धारणाधिकार या निर्णय का विषय हो जिस मामले में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों का प्रयोग उस धारणाधिकार या निर्णय के लिए किया जा सकता हो बशर्ते कि वह धारणाधिकार या निर्णय वर्तमान संकल्प की तारीख से पहले का हो तथा समिति द्वारा नामोदिष्ट किसी व्यक्ति या संस्था के लिए न हो और सुसंगत राज्य या सदस्य राज्यों द्वारा समिति में अधिसूचित किया गया हो जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 8 के उप पैरा (ग) में कहा गया हो;

iv) जैसा कि भारत सरकार द्वारा अवधारित किया गया है, उन खातों में देय ब्याज या अन्य आय या इस संकल्प के उपाबंधों के अधीन आने वाले उन खातों की तारीख से पहले की गई संविदाओं, करारों या दायित्वों के तहत देय भुगतान बशर्ते कि इस प्रकार का कोई ब्याज, अन्य आय भुगतान इन उपाबंध के विषय बने रहेंगे तथा और रोक लगाई गई संपत्ति बने रहेंगे जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 9 में कथित है;

v) ऐसे व्यक्ति या संस्था के सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व की गई किसी संविदा के तहत देय भुगतान बशर्ते कि संबंधित राज्यों ने तय किया हो कि भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी नामोदिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है और संबंधित राज्यों द्वारा समिति को इस प्रकार का भुगतान करने या प्राप्त करने या जहां उचित हो निधियां, इस प्रयोजन से अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर से रोक हटाने की अधिसूचना के बाद इस प्रकार अधिसूचित किए जाने से पूर्व दस कार्य दिवस जैसा कि संकल्प 2196 (2015) के पैरा 10 में कथित है;

अनुसूची

[पैराग्राफ 2 (ख) देखें]

उपाबंध

5 दिसम्बर, 2013 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प 2127 (2013) का पाठ।

संकल्प 2127 (2013)

सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी 7072वीं बैठक में 5 दिसम्बर, 2013 को अंगीकृत।

सुरक्षा परिषद

केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य (कार) पर इसके पूर्ववर्ती संकल्पों और विवरणों, विशेष रूप से संकल्प 2121 (2013) का स्मरण करते हुए;

'कार' की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता की अभिपुष्टि करना और अच्छे पड़ोसी होने तथा क्षेत्रीय सहयोग के सिद्धांत को याद करना;

'कार' की निरंतर बिगड़ती सुरक्षात्मक स्थिति जिसमें विधि और व्यवस्था पूरी तरह से असफल हो रही है, विधि के शासन का अभाव है, परस्पर धार्मिक तनाव है पर गहरी चिंता व्यक्त करना तथा मध्य एशिया क्षेत्र में और उसके आगे 'कार' में अस्थिरता के परिणामों के बारे में और गंभीर चिंता व्यक्त करना तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर बल देना था;

अंतर्राष्ट्रीय मानव विधि के बार-बार बढ़ते उल्लंघन तथा व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन और दुरूपयोग, विशेष रूप से 'सेलेका' और आतंकवादी समूहों द्वारा खास तौर पर विरोध बलाका रूप में विख्यात, जिसमें न्यायेतर हत्या, बलात गायब करना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी तथा नजरबंदी, उत्पीड़न, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा, बलात्संग, भर्ती, बच्चों का प्रयोग तथा सिविलयनों के खिलाफ आक्रमण पर गंभीर रूप से चिंता व्यक्त करना, हिंसा और प्रतिकार की नई गति और इसके देशव्यापी धार्मिक और नृजातीय विभाजन, जिसमें स्थिति को अनियंत्रणीय बनाने की संभावना हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर अपराध विशेषकर युद्ध में और मानवता के विरुद्ध हो रहे हों और जिसकी गंभीर क्षेत्रीय विवक्षाएं हों पर उल्लेखनीय विशेष चिंता व्यक्त करना;

इसके अतिरिक्त पुलिस तथा न्याय के ऐसे उल्लंघनों और दुरूपयोग को करने वाले लोग सुधार संस्थाओं, अपर्याप्त क्षमता के संबंध में आगे चिंता व्यक्त करना;

नृजातीय और धार्मिक समूहों के लोगों तथा उनके नेताओं को निशाना बनाने वाली हिंसा की भर्त्सना करना तथा 'कार' के सभी पक्षकारों और पणधारियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से अंतर-सामुदायिक और अंतःविश्वास को सहायता देना और कारगर ढंग से योगदान करना जिसका उद्देश्य धरातल से वर्तमान तनाव का उपशमन करना;

इस बात को दोहराना कि ऐसे कार्यों को बार-बार करने वाले जवाबदेह बनाए जाएं तथा उनमें से कुछ कार्य रोम स्टेट्यूट ऑफ दि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी)के अंतर्गत अपराध माने जाएंगे, 'कार' जिसका पक्षकार है तथा आईसीसी के अभियोजक द्वारा 7 अगस्त, 2013 को दिए गए कथन को याद करना;

प्राकृतिक विरासत को नष्ट करने के प्रति अपनी भर्त्सना दोहराना तथा ध्यान करना की जानवरों का अवैध शिकार तथा वन्यजीव के साथ दुर्व्यवहार ऐसे दो कारण हैं जो 'कार' में संकट बढ़ाते हैं;

'कार' को बीच में रोकने के लिए किम्बरले प्रक्रिया के निर्णय को ध्यान करना;

कार में स्थिति तथा एमआईएससीए के संबंध में महासचिव के तारीख 15 नवम्बर, 2013 की रिपोर्ट का स्वागत करना तथा एमआईएससीए के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए विस्तृत विकल्पों का ध्यान रखना;

इस बात का स्मरण करना कि संक्रमण प्राधिकारियों (ट्रांजिसनल ऑथिरिटी) की मुख्य जिम्मेदारी सिविलियन जनता की रक्षा करने की होती है;

सशस्त्र संघर्ष होने पर सिविलियन जनता की रक्षा के संबंध में इसके संकल्प 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) और 1894 (2009), सशस्त्र संघर्ष होने पर बच्चों के संबंध में इसके संकल्प 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) और 2068 (2012) महिलाओं शांति और सुरक्षा के संबंध में इसके संकल्प 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) और 2122 (2013) का स्मरण करना तथा 'कार' में शामिल पक्षकारों को बच्चों तथा सशस्त्र संघर्ष के विशेष प्रतिनिधियों तथा संघर्ष होने पर यौन हिंसा से संबंधित विशेष प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करना;

इस बात के महत्व पर बल देना कि संक्रमणकालीन प्राधिकारी संघर्ष से जुड़ी सभी संगत चर्चाओं में स्त्रियों की पूरी और समान सहभागिता सुनिश्चित करें;

हथियारों की तस्करी तथा भाड़े के सैनिकों (मर्सेनीज) का इस्तेमाल तथा अतिवादी नेटवर्क बनाने की संभावना वाले स्थलों को शामिल कर 'कार' में दांडिक क्रियाकलाप के लिए अनुकूल माहौल बनाना।

अपने संकल्प 2117 (2013) को वापस मांगना तथा गलत अंतरण, अस्थिर करने वाले संचयन तथा छोटे हथियारों से 'कार' के लिए उत्पन्न विधि और व्यवस्था के लिए खतरे के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करना;

मौजूदा सुरक्षा की स्थिति के भाग के रूप में 'कार' में देय लार्ड रेसिस्टेंस आर्मी (एलआरए) की क्रियाकलाप के बारे में निरंतर चिंता व्यक्त करना;

'कार' में बिगड़ती मानवता की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करना तथा यूएन के कर्मचारियों और मानवाधिकार से जुड़े कार्मिकों, सामान और परिसरों पर बार-बार किए जाने वाले हमलों तथा मानवीय सहायता के लूटने, जिससे मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा पहुंचती है, की कड़े शब्दों में भर्त्सना करना;

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता के उपाबंध जिसमें मानवीय सहायता के उपाबंधों में तटस्थता, निरपेक्षता, मानवता और स्वतंत्रता शामिल हैं, को सम्मान देने के महत्व को रेखांकित करना;

मानवता से जुड़े कार्मिकों और संयुक्त राष्ट्र तथा इसके सहयोगी कार्मिकों और उनकी आस्तियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी पक्षकारों से अनुरोध करना;

अपने अध्यक्ष के तारीख 29 अक्तूबर के पत्र का स्मरण करना जिसमें बी.आई.एन.यू.सी.ए. के भाग के रूप में 'कार' के लिए एक गार्ड यूनिट तैनात करने को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा महासचिव के तारीख 26 नवम्बर, 2013 के पत्र का ध्यान रखना जिसमें बी.आई.एन.यू.सी.ए. में गार्ड यूनिट की तैनाती की दिशा में की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है तथा इस प्रकार की गार्ड यूनिट के लिए 5 नवम्बर को अभिव्यक्त संक्रमणकालीन प्राधिकारियों की सहमति का ध्यान रखना तथा इस संबंध में इस यूनिट मोरक्को किंगडम द्वारा की गई सहायता का स्वागत करना;

'कार' में "अफ्रीकी नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिशन" (इसके इसे एमआईएससीए कहा गया है) की अफ्रीका शांति और सुरक्षा संघ के निर्णय और 10 अक्तूबर, 2013 को प्रचालन के नए अंगीकरण का स्वागत करना;

'कार' संकट के बारे में केन्द्रीय अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस) के चल रहे प्रयासों, संकट का समाधान करने के लिए अफ्रीकी यूनियन के प्रयासों तथा कार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह के प्रयासों के लिए अपने प्रयासों को दोहराना;

'कार' के लिए यूरोपीय संघ (इयू) की संलग्नता, विशेषकर 21 अक्तूबर, 2013 के विदेशी मामलों के परिषदों के निष्कर्ष तथा अफ्रीकी शांति सुविधा के दायरे में एमआईएससीए की तैनाती के लिए डी यू को वित्तीय योगदान के प्रति प्रतिबद्धता का स्वागत करना इसके अतिरिक्त संभावित अतिरिक्त सहायता के संबंध में डी यू के भीतर ही चल रही चर्चा का स्वागत करना;

प्रेसीडेंट के टिप्पण (एस/2006/997) में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद अनुषंगी आर्गन ब्रांच के लिए रोस्टर का विस्तार करने और उसमें सुधार करने के लिए सचिवालय द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करना;

बैंगुली में 8 नवम्बर, 2013 को आयोजित 'कार' से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की तीसरी बैठक में अंगीकृत घोषणा को ध्यान में रखना;

13 नवम्बर, 2013 की एयू-पीएससी विज्ञाप्ति को ध्यान में रखना जो सुरक्षा परिषद से आग्रह करती है कि शीघ्र एक संकल्प स्वीकार करे जिसमें एमआईएससीए की विनियोजन को समर्थन और प्राधिकृत किया गया है;

'पीसबिल्डिंग कमीशन' के अध्यक्ष का 22 नवम्बर, 2013 के पत्र को ध्यान में रखना जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षा और मानवीय स्थिति के कारण आई स्थिरता के उपरांत 'कार' की शांति स्थापित करने वाली जरूरतों को सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में साझेदारों तथा कार्यशील लोगों के ध्यान और प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय प्रयासों के समर्थन में आकर्षित करने और बनाए रखने में आयोग की भूमिका पर बल देना;

'कार' प्राधिकारियों के 20 नवम्बर, 2013 के पत्र को ध्यान में रखना जिसमें फ्रांसीसी बलों द्वारा एमआईएससीए को समर्थन देने का अनुरोध किया गया है;

'कार' में कार्यरत सभी उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाकर उनके महत्व को रेखांकित करना;

इस स्थिति को अवधारित करना कि 'कार' में स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है;

संयुक्त राष्ट्र चार्टर 7 के अधीन कार्य करना;

राजनीतिक प्रक्रिया

1. 11 जनवरी, 2013 के लिबरविले करार, 18 अप्रैल, 2013 के एन डजामेना घोषणा, 3 मई, 2013 की ब्राजाविले अपील तथा 8 नवम्बर, 2013 को बांगुई में आयोजित तीसरी बैठक में कार पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह द्वारा अंगीकृत घोषणा के प्रति अपना समर्थन देना;

2. इस बात को दोहराना कि लिबरविले में हस्ताक्षरित राजनीतिक करार के अनुसार प्राइम मिनिस्टर 'गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी' का अध्यक्ष है जो इस करार के अनुच्छेद 5 में परिभाषित परिभाषाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में प्रभारी होता है और सभी पक्षकारों इस करार का सम्मान करने का अनुरोध करता है;

3. इससे पुनः यह बात दोहराई गई है कि लोकतंत्र, चुनाव और अभिशासन से संबंधित अफ्रीकी चार्टर लिबरविले करार, संगत ईसीसीएएस निर्णय तथा संक्रमण (ट्रांजिशन) के लिए संवैधानिक चार्टर के अनुसार, ट्रांजिशन के अध्यक्ष प्रधान मंत्री नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल (एनटीसी) के प्रधान, मंत्रीगण और एनटीसी ब्यूरो के सदस्य संवैधानिक व्यवस्था की बहाली के लिए लाक्षित चुनावों में भाग नहीं ले सकते;

4. संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से देश के पूरे राज्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तत्काल निःशस्त्रीकरण छावनी और सभी सशस्त्र समूहों को भंग करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए अनुरोध करना;

5. उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के त्वरित कार्यान्वयन की मांग करता है जिससे ट्रांजिशन अवधि शुरू होने के 18 मास बाद राष्टपतीय और विधान-मंडल के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सकेंगे जैसा कि संक्रमणकालीन चार्टर के अनुच्छेद 102 में परिभाषित किया गया है जो 18 अगस्त, 2013 को लागू हुआ था और जिसमें एन इजामेना घोषणा के लिए आह्वान किया गया था;

6. इस बात पर दुःख व्यक्त करता है कि संक्रमणकालीन प्राधिकारियों ने संक्रमणकालीन ढांचे के प्रमुख तत्वों, विशेषकर फरवरी, 2015 तक निर्वाचन करवाने के संबंध में सीमित प्रगति की है और इस संबंध में संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से आह्वान करता है कि राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकारियों की व्यवस्था करें जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ निर्वाचनों के सफल आयोजन की तकनीकी अपेक्षाओं को चिह्नित कर सकेगा;

7. संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से सेंट एडिगो के तत्वाधान में 7 नवम्बर, 2013 को संक्रमणकालीन प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित 'गणतंत्रात्मक समझौते' कार्यान्वित करने का अनुरोध करता है जिसे देश के सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पक्षकारों के बीच एक समावेशी राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय ढांचे के रूप में विकसित किया गया था। साथ ही यह महासचिव से अनुरोध करता है कि वे 'कार' के अपने प्रतिनिधि के माध्यम में संक्रमणकालीन प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए उचित कदम उठाएं जिससे वे अपनी मध्यस्थता क्षमता को बढ़ा सकें तथा ऐसे संवाद को सुकर और सुदृढ़ बना सकें;

8. संक्रमणकालीन के प्रबंधन की बारीकी से निगरानी करने की इसकी आशय को दोहराता है और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि (एसआरएसजी) तथा ईसीसीएएस मध्यस्थ की भूमिका की सराहना करता है;

9. संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने में महत्वपूर्ण सहायता देने तथा लिबरविले करार का कार्यान्वयन करने की चल रही राजनीतिक प्रक्रिया तथा एन इ्जामेना रोड मैप तथा निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बीआईएनयूसीए की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपना समर्थन व्यक्त करता है;

10. यह निर्णय लेता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 1 में संदर्भित कोई ट्रांजिशनल व्यवस्था को विलंबित करने, अड़चन डालने या उल्लंघन करने का प्रयास शांति प्रक्रिया के लिए बाधा समझा जाएगा तथा ऐसा करने पर नीचे पैराग्राफ 56 में परिभाषित उचित कदम उठाए जा सकते हैं;

डीडीआर/एसएसआर

11. संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से अनुरोध करता है कि निःशस्त्रीकरण, लामबंद न करने और पुनःसमेकन (डीडीआर) या निःशस्त्रीकरण, लामबंद न होने, प्रत्यावर्तन, पुनःसमेकन और पुनःव्यवस्थापन (डीडीआरआरआर) कार्यक्रम विकसित कर कार्यान्वित करें जिसमें पूर्ववर्ती 'सेलेका' तत्वों को शामिल करें जिन्हें सुरक्षा बलों में शामिल नहीं किया जाएगा तथा सशस्त्र बलों और समूहों से संबद्ध बालकों को शामिल नहीं किया जाएगा;

12. इसके अतिरिक्त संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से एक व्यापक और राष्ट्रीय स्वामित्व सुरक्षा सेक्टर सुधार (एसएसआर) कार्यक्रम विकसित कर कार्यान्वित करें जिसमें उचित विधीक्षा प्रक्रिया शामिल है जिससे वृत्तिक, संतुलित और प्रतिनिधि मूलक सुरक्षा बलों का पुनर्गठन किया जा सके जिनका चयन मानव अधिकारों और राष्ट्रिकता के आधार पर किया गया हो तथा इन प्रयोजनों से संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से बीआईएनयूसीए तथा एमआईएससीए को सहयोग करने का आह्वान करता हो;

13. सदस्य राज्यों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिसमें अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ शामिल हैं, को बुलाना ताकि संक्रमणकालीन प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा सेक्टर में सुधार करने के प्रयास में उनके सहयोग का समन्वय किया जा सके;

विधि का शासन

14. पुलिस, न्याय और सुधार संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करना ताकि विधि का शासन बनाए रखा जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि और मानवाधिकारों का दुरुपयोग करने वालों पर विधि कार्रवाई की जा सके;

15. इसके अतिरिक्त, संक्रमणकालीन प्राधिकारियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देने के महत्व को रेखांकित करता है ताकि वह सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकें और राज्य प्राधिकार का विस्तार कर सकें।

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा

16. 'कार' में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, जिससे लगातार संघर्ष बढ़ता है, की भर्त्सना करता है तथा इन अवैध गतिविधियों, जिनमें सशस्त्र समूहों, तस्करों तथा अन्य तत्वों पर दबाव डालना शामिल है, को समाप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है;

मानव अधिकारों को प्रोत्साहन और रक्षा

17. सशस्त्र समूहों, विशेषकर पूर्ववर्ती 'सेलेका' तत्वों, बलाका विरोधी तत्वों और एलआरए, जो लोगों के लिए खतरा उपस्थित करते हैं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि और मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर बल देता है कि ऐसे उल्लंघन करने वालों पर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए;

18. संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करता है कि वह सभी उल्लंघनकर्ताओं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अविलंब जवाबदेह ठहराएं;

19. बढ़ती अंतर-धार्मिक और अंतर-सांप्रदायिक हिंसा तथा नृजातीय और धार्मिक समूहों तथा उनके नेताओं को निशाना बनाने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है तथा 'कार' के सभी पक्षकारों और पणधारियों से आग्रह करता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग लेकर अंतर-सामुदायिक तथा अंतर-विश्वासी संवाद को मजबूत बनाएं ताकि जमीनी स्थिति को और बदतर होने से बचाया जा सके;

20. अपनी मांग को दोहराता है कि सभी सशस्त्र समूह, विशेषकर पूर्व 'सेलेका' के तत्व और एंटी-बलाका तत्व बालकों की भर्ती और उनका उपयोग करना समाप्त करें कि सभी पक्षकार सशस्त्र समूहों और सशस्त्र बलों की कैद से छोड़े गए या अन्य प्रकार से अलग हुए बालकों को पीड़ित समझें तथा सशस्त्र समूहों से सम्बद्ध सभी बच्चों की रक्षा, मुक्ति और पुनःशामिल किए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देता है;

21. जनता की सुरक्षा करने तथा भूभाग में सुरक्षा और एकता सुनिश्चित करने की संक्रमणकालीन प्राधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि, मानवीय अधिकार विधि तथा शरणार्थी विधि के लिए सम्मान सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है;

22. 'कार' में सशस्त्र संघर्ष से जुड़े सभी पक्षकारों, जिसमें पूर्व 'सेलेका' तत्व और बलाका विरोधी तत्व शामिल हैं, से इस आशय के आदेश जारी करने का आह्वान करता है कि वे लागू अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले दुरूपयोग जैसे भर्ती और उपयोग, हत्या या अपंग बनाना, अपहरण और स्कूलों तथा अस्पतालों पर आक्रमण पर प्रतिबंध लगाएं। इसके अतिरिक्त यह संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से कथित दुरूपयोग की जांच समय से करने के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धताएं करने और उनका कार्यान्वयन करने का आह्वान करता है ताकि लगातार ऐसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सके और ऐसे उल्लंघन या दुरूपयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को सुरक्षा सेक्टर से बाहर निकालना सुनिश्चित किया जा सके;

23. 'कार' में सशस्त्र संघर्ष से जुड़े सभी पक्षकारों, जिसमें पूर्व सेलेका तत्व शामिल हैं, से आह्वान करता है कि वे यौन हिंसा के विरूद्ध स्पष्ट आदेश जारी करें इसके अतिरिक्त यह संक्रमणकालीन प्राधिकारियों से कथित दुरूपयोग की जांच समय से करने के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धताएं करने और उनका कार्यान्वयन करने का आह्वान करता है ताकि संकल्प 1960 (2010) और 2106 (2013) के अनुरूप लगातार ऐसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सके तथा यौन हिंसा के शिकार लोगों को उपलब्ध सेवाओं में प्रवेश दिलाया जा सके;

24. यह अनुरोध करता है कि महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मानव विधि और मानवाधिकार विधि के विशेषज्ञों को शामिल कर शुरू-शुरू में एक वर्ष के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का तेजी से गठन करें ताकि 01 जनवरी, 2013 से 'कार' के सभी पक्षकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव विधि, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के उल्लंघन तथा मानवाधिकारों के दुरूपयोग की जांच तत्काल शुरू की जा सके, लगातार इस प्रकार का दुरूपयोग और उल्लंघन करने की पहचान करने में सहायता दी जा सके, उनकी संभावित दांडिक दायित्व की ओर संकेत किया जा सके तथा जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायी ठहराना सुनिश्चित किया जा सके और सभी पक्षकारों से इस आयोग को पूरी तरह से सहयोग देने का आह्वान करता है;

25. महासचिव से यह अनुरोध भी करता है कि इस संकल्प को अंगीकार किए जाने के एक वर्ष छह मास बाद जांच आयोग के निष्कर्षों को सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करें;

26. महासचिव से यह अनुरोध भी करता है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त (एचसीएचआर) के साथ मिलकर 'कार' में मानवाधिकार निगरानी की संख्या की तैनाती में पुष्टि करें;

27. सदस्य राज्यों को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसके राष्ट्रिको को ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए 'कार' की यात्रा करने से हतोत्साहित करें जिनसे शांति भंग हो, राजनीतिक प्रक्रिया को खतरा उपस्थित हों या मानवाधिकारों के उल्लंघन को समर्थन मिलता हो;

एमआईएससीए की अभिनियोजन

28. इस संकल्प को अंगीकार किए जाने के बाद 12 महीनों के लिए एमआईएससीए की तैनाती को प्राधिकृत करता है जिसकी समीक्षा इस संकल्प को अंगीकार किए जाने के बाद की जाएगी, जो 19 जुलाई, 2013 को अंगीकृत और 10 अक्तूबर, 2013 को पुनरीक्षित प्रचालनों की अवधारणा के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठाएगा;

(i) उपयुक्त उपायों का प्रयोग कर सिविल नागरिकों की रक्षा तथा सुरक्षा और शांति व्यवस्था का प्रत्यावर्तन;

(ii) देश को स्थिर बनाना तथा देश के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में राज्य के प्राधिकार का प्रत्यावर्तन;

(iii) जरूरतमंद लोगों को मानवीय आवश्यकता के उपाबंध के लिए अनुकूल शर्तों का सृजन;

(iv) संक्रमणकालीन प्राधिकारियों के नेतृत्व में डीडीआर या डीडीआरआरआर और बीआईएनयूसीए द्वारा समन्वय;

(v) संक्रमणकालीन प्राधिकारियों के नेतृत्व में और बीआईएनयूसीए के समन्वय से रक्षा और सुरक्षा में सुधार करने और पुनर्संरक्षित करने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास;

29. एमआईसीओपीएएक्स से एमआईसीए को संक्रमण के सभी पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा सदस्य राज्यों द्वारा दिए गए सहयोग तथा ए यू आयोग और मध्य अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के बीच परामर्श का स्वागत करता है जिसमें 7 से 10 अक्तूबर, 2013 तक अदीस अबाबा में आयोजित बैठक के परिणाम भी शामिल हैं;

30. ए यू तथा ईसीसीएएस से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता है कि एमआईसीओपीएक्स से एमआईएससीए को प्राधिकार का अंतरण 19 दिसम्बर, 2013 तक कर दिया जाए और यह ध्यान करता है कि एयू-पीएससी ने एयू आयोग को आहूत किया है कि वह एआईसीओपबीएक्स से एमआईएससीए को शीघ्र और सफलतापूर्वक प्राधिकार सौंप दे। इसके अतिरिक्त यह एमआईएससीए के नए नेतृत्व की नियुक्ति का स्वागत करता है;

31. सिविलियन क्रियाकलापों की रक्षा तथा प्रतिकार-एलआरए प्रचालनों के संदर्भ में बीआईएनयूसीए, अफ्रीकी संघ क्षेत्रीय कार्य बल (एयू-आरटीएफ) एमआईएससीए के बीच भरपूर समन्वय और उनमें सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल देता है;

32. अफ्रीकी संघ से रक्षा महानिदेशक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संकट में शामिल द्विपक्षीय साझेदारों से घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर एमआईएससीए की तैनाती और गतिविधियों के बाद प्रत्येक 60 दिन पर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का अनुरोध करता है;

33. एमआईएससीए तथा 'कार' की सभी सैन्य शक्तियों से इस बात पर बल देता है कि अपने अधिदेश को कार्यान्वित करते समय कार की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता का पूरा सम्मान करें तथा लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधियों, मानवाधिकार विधि तथा शरणार्थी विधि का पूरा पालन करें तथा इस संबंध में प्रशिक्षण के महत्व का स्मरण करता है;

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

34. ईसीसीएएस देशों द्वारा पहले ही किए गए योगदान का स्वागत करता है। अफ्रीकी देशों (एमएआर) से एमआईएससीए में योगदान करने का आह्वान करता है जिससे यह अपना दायित्व पूरा कर सके तथा इसके अतिरिक्त यह सदस्य राज्यों और क्षेत्रीय संगठनों से अफ्रीकी संघ, ईसीसीएएस तथा संयुक्त राष्ट्रों, सेना उपलब्ध कराने वाले देशों तथा इस निमित संदान देने वाले संगठनों के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करने का आह्वान करता है;

35. इस बात पर बल देता है कि सभी नई अफ्रीकी सेनाओं को एमआईएससीए के कमांड और नियंत्रण संरचना में मिला दिया जाएगा तथा इस संकल्प के पैरा 28 में निर्धारित किए गए अनुसार एमआईएससीए को दिए गए दायित्व के अनुसार कार्य करेगा;

36. संक्रमणकालीन प्राधिकारियों तथा 'कार' के अन्य सभी पक्षकारों से एमआईएससीए के परिनियोजन और प्रचालनों में पूरी तरह सहयोग करने, विशेष रूप से 'कार' के पूरे भू भाग में निर्बाध और तत्काल प्रवेश सहित रक्षा, सुरक्षा और आने-जाने की स्वतंत्रता के लिए आह्वान करता है ताकि यह अपने अधिदेश को पूरी तरह से कार्यान्वित कर सके तथा 'कार' के पड़ोसी देशों से एमआईएससीए के अधिदेश के कार्यान्वयन के समर्थन में उचित कदम उठाने का आह्वान करता है;

संयुक्त राष्ट्र सहायता

37. महासचिव से एमआईएससीए की आयोजना और परिनियोजन में अफ्रीकी संघ को तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह देने के प्रावधान को बढ़ाना जारी रखने तथा प्रचालन के एमआईएससीए अवधारणा के कार्यान्वयन, एमआईएससीए मिशन मुख्यालय की स्थापना का अनुरोध करता है ताकि इसके कमांड और नियंत्रण तथा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जा सके, संचार और सूचना प्रौद्योगिक अवसंरचना में सुधार किया जा सके और आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके;

38. महासचिव से यह अनुरोध भी करता है कि अवैध प्रोदभवन और सभी प्रकार की जुड़ी सामग्रियों विशेषकर विस्फोटक हथियारों का भंडार बनाने के लिए छोटे हथियारों के निर्माण और वृद्धि की समस्या से मुकाबला करने युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाने तथा परंपरागत हथियारों के निस्तारण में एमआईएससीए का समर्थन;

39. बीआईएनयूसीए तथा एमआईएससीए के बीच उपयुक्त समन्वय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है;

40. इस बात को रेखांकित करता है कि इस संकल्प के पैरा 37 और 43 में निहित समर्थन का अनुपालन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के अनुरूप होना चाहिए तथा गैर राष्ट्र संघ सुरक्षा बलों (एचआरडीडीपी) को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए;

वित्तपोषण

41. इस बात को रेखांकित करता है कि अपने संगठनों के कार्य के लिए मानवीय, वित्तीय, संभारिकी तथा अन्य संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय संगठनों की होती है जो उनके सदस्यों के अंशदान और साझेदारों की सहायता से एकत्र किए जाते हैं;

42. सदस्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय संगठनों से एमआईएससीए को वस्तु के रूप में अंशदान और वित्तीय सहायता देने का आह्वान करता है ताकि वह तैनाती कर सके तथा अपने अधिदेश का कार्यान्वयन कर सके तथा इस संबंध में अफ्रीकी शांति सुविधा जुटाने के माध्यम से, ऐसी वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने की यूरोपीय संघ की इच्छा का स्वागत करता है;

43. महासचिव से एमआईएससीए के लिए एक न्यासनिधि स्थापित करने का अनुरोध करता है जिसके जरिए सदस्य राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन एमआईएससीए को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा सकें तथा महासचिव से यह अनुरोध भी करता है कि इ यू के साथ समन्वय कर सदस्य राज्यों के दानदाता संगठनों के तथा संगत अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों का सम्मेलन आयोजित करने में सहायता उपलब्ध करवाएं जिसका आयोजन इस न्यास के लिए शीघ्रातिशीघ्र अंशदान मांगने के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा किए जाएगा;

44. सदस्य राज्यों से एमआईएससीए के नए संयुक्त राष्ट्र न्यासनिधि को उदारतापूर्वक दान देने का आह्वान करता है, साथ ही इस बात को ध्यान करता है कि न्यास के अस्तित्व में आने से प्रत्यक्ष द्विपक्षीय संबंधों के निष्कर्षों का अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा तथा अफ्रीकी संघ से पुनः अनुरोध करता है कि महासचिव से परामर्श कर इस न्यास निधि को बजटीय अनुरोध सौंपे;

45. यह ध्यान करता है कि 13 नवम्बर, 2013 का एयू-पीएससी विज्ञप्ति; एयू के द्विपक्षीय और बहुपार्श्विक साझेदारों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है जो एमाईएससीए की तैनाती तथा प्रचालन के लिए सहायता उपलब्ध करवाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं;

पीकेओ

46. एयू तथा ईससीएएस के विचार को ध्यान में रखता है कि एमआईएससीए को अंततः संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इस संबंध में एमआईएससीए को संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में संभावित परिवर्तन के लिए आवश्यक तैयारी करने की महासचिव की आशय का स्वागत करता है;

47. महासचिव से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रचालन में संभावित परिवर्तन के लिए त्वरित से आकस्मिक तैयारी और योजना निर्माण का अनुरोध करता है और इस बात पर बल देता है कि इस प्रकार का मिशन स्थापित करने के लिए भविष्य में इस परिषद के निर्णय की अपेक्षा होगी;

48. एयू से परामर्श कर महासचिव से इस संकल्प को अंगीकार किए जाने के अधिक से अधिक तीन माह के भीतर एमआईएससीए के संयुक्त राष्ट्र शांति ऑपरेशन के रूप में संभावित परिवर्तन को सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का अनुरोध करता है जिसमें 15 नवम्बर, 2013 के सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के पैराग्राफ 45 में संदर्भित उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने की जमीनी स्थिति का आंकलन भी शामिल है;

फ्रांसीसी बल

49. एयू-पीएससी के 13 नवम्बर, 2013 की विज्ञप्ति को ध्यान करता है जिसमें एमआईएससीए को बेहतर सहायता देने के लिए फ्रांसीसी सेना को मजबूत बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है तथा एमआईएससीए और फ्रांसीसी बलों के बीच कारगर प्रचालनात्मक समन्वय की स्थापना के लिए एयू आयोग को प्रोत्साहित किया गया है;

50. 'कार' में फ्रांसीसी बलों के अपनी क्षमता के अधीन तथा विनियोजन की सीमा में अस्थायी अवधि में एमआईएससीए को उपरोक्त 28 द्वारा उपाबंध किए गए अधिदेश के निर्वहन में उसे सहायता देने के लिए सभी कदम उठाने के लिए प्राधिकृत करता है; कार में इस अधिदेश के कार्यान्वयन के संबंध में परिषद को रिपोर्ट करने का तथा उपरोक्त पैरा 32 में संदर्भित अफ्रीकी संघ द्वारा की गई रिपोर्ट करने से इस रिपोर्टिंग को समन्वित करने का फ्रांस से अनुरोध करता है और इसके शुरू होने के छह मास के भीतर इस अधिदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेता है तथा विशेष रूप से 'कार' के पूरे राज्यक्षेत्र में इसकी सुरक्षा, संरक्षा तथा निर्बाध आवगमन सुनिश्चित कर फ्रांसीसी बलों की तैनाती और प्रचालन में संक्रमणकालीन प्राधिकारियों के पूर्ण सहयोग का आह्वान करता है तथा इसके अतिरिक्त 'कार' के पड़ोसी देशों में फ्रांसीसी बलों की कार्रवाई को समर्थन देने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान करता है;

मानवीय सिद्धांत, सुलभता, वित्तपोषण और कार्रवाई

51. 'कार' में बद से बदतर होती मानवीय स्थिति तथा मानवाधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं के विरुद्ध असुरक्षा और आक्रमण बढ़ने से उत्पन्न मानवीय पहुंच पर अंकुश लगने के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है;

52. संघर्ष सभी पक्षों विशेषकर पूर्व 'सेलेका' में जरूरतमंदों के पास मानवाधिकार से जुड़े संगठनों और राहत पहुंचाने वाले लोगों की तीव्र, सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने तथा मानवीय सहायता पहुंचाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों जैसे तटस्थता, निष्पक्षता, मानवता और मानवीय सहायता के प्रावधान में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान करता है;

53. सदस्य राज्यों से कार के भीतर लोगों तथा पड़ोसी देशों में भाग गए शरणार्थियों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने की संयुक्त राष्ट्र की मानवीय अपील के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आह्वान करता है तथा इस निमित्त संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संगठनों द्वारा चलाई जा रही मानवीय परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करता है;

मंजूरी व्यवस्था

आयुधों पर प्रतिबंध

54. यह निर्णय लेता है कि इस संकल्प को अंगीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए सभी सदस्य राज्य अपने भू भाग से या भू भाग के जरिए या अपने झंडे या वायुयान का प्रयोग कर 'कार' देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के आयुधों या सभी प्रकार की सामग्रियों जिसमें आयुध और गोलाबारूद, सैन्य वाहन और उपस्कर, अर्द्ध सैन्य उपस्कर, उपरोक्त के पुर्जे, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, सैन्य गतिविधियों या उपाबंध से जुड़ी वित्तीय या अन्य सहायता शामिल होगी, की आपूर्ति, बिक्री या स्थानांतरण नहीं करेंगे। इसी प्रकार कोई हथियार या संबंधित सामग्री जिसमें सशस्त्र भाड़े के सैनिकों का उपाबंध होगा, भले ही वे उनके भू भाग में हो या नहीं की आपूर्ति बिक्री या स्थानांतरण नहीं करेंगे और यह निर्णय भी लेता है कि यह उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा;

(क) पूरी तरह से एमआईसीओपीएएक्स, एमआईएससीए, बीआईएनयूसीए तथा इसकी गार्ड इकाई-एयू-आरटीएफ तथा कार में तैनात फ्रांसीसी बलों को सहायता देने या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित आपूर्ति पर;

(ख) पूरी तरह से मानवीय या अति सक्रिय प्रयोग के लिए आशायित गैर-विध्वंसक सैन्य उपकरण की आपूर्ति तथा नीचे पैरा 57 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित तकनीकी सहायता या प्रशिक्षण;

(ग) संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा मानवीय और विकास से जुड़े कार्यकर्ताओं तथा संबद्ध व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 'कार' को अस्थायी तौर पर निर्यातित रक्षात्मक वस्त्र जिसमें फ्लैव जैकेट और मिलिट्री हैलमेट शामिल होंगे;

(घ) जानवरों के शिकार, हाथी दांत और हथियारों की तस्करी रोकने तथा 'कार' के राष्ट्रीय कानूनों या 'कार' के अंतर्राष्ट्रीय विधिक बाध्यता के विरुद्ध रक्षा के लिए संघा नदी ट्राई-नेशनल सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गश्त में ही प्रयोग किए जाने के लिए आशापित छोटे हथियारों या अन्य संबद्ध उपस्कर की आपूर्ति;

(ङ) समिति द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित एसएसआर की 'कार' प्रक्रिया में उपयोग किए जाने या समर्थन के लिए ही आशायित 'कार' की सुरक्षा सेनाओं को हथियारों तथा अन्य संबद्ध विध्वंसक उपस्कारों की आपूर्ति;

(च) समिति द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित अन्य बिक्री या हथियारों तथा संबद्ध सामग्री की आपूर्ति या सहायता अथवा कार्मिकों का उपाबंध;

55. सभी सदस्य राष्ट्रों को, इस संकल्प के पैरा 54 द्वारा प्रतिषिद्ध सामानों की भनक लगने पर उन्हें जब्त करने, पंजीकृत करने और निपटान करने (नष्ट कर, अप्रचालनीय बनाकर, भंडारण कर या शुरू होने वाले या पहुंचाए जाने वाले देश को छोड़कर निपटान के लिए किसी अन्य राज्य में भेजकर) जिनकी आपूर्ति, बिक्री स्थानांतरण या निर्यात इस संकल्प के पैरा 54 द्वारा प्रतिषिद्ध है, का प्राधिकार देता है और वे ऐसा ही करेंगे;

भावी उपाय

56. ऐसे व्यक्ति, जो संक्रमणकालीन करारों को नुकसान पहुंचाने वाले या उल्लंघन करने वाले कार्यों में संलिप्त होकर या मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सशस्त्र संघर्ष में बालकों की भर्ती और उनका उपयोग, यौन हिंसा या 'कार' हीरे सहित प्राकृतिक संसाधनों के गैर कानूनी दोहन के जरिए या पैरा 54 में स्थापित सशस्त्र इम्बार्गो का उल्लंघन कर गैर कानूनी सशस्त्र समूह या दांडिक नेटवर्क को मदद देने सहित ऐसे कार्यों में लिप्त है या ऐसे कार्यों को मदद देता है जिससे राजनीतिक प्रक्रिया को नुकसान होता या हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो उन पर यात्रा पर प्रतिबंध और परिसंपत्तियां फ्रीज करने जैसे लक्षित कदम उठाने पर तेजी से विचार करने का मंशा जाहिर करता है;

प्रतिबंध समिति

57. अपनी प्रक्रिया नियम के नियम 28 के अनुसार सुरक्षा परिषद की ऐसी समिति गठित करने का निर्णय लेता है जिसमें परिषद (इसके पश्चात इसे समिति कहा जाएगा) के सभी सदस्य शामिल होंगे जो निम्नलिखित कार्य करेंगे;

(क) ऊपर पैराग्राफ 54 और 55 में अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ताकि सदस्य राज्यों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जा सके, सुकर बनाया जा सके और उनमें सुधार लाया जा सके;

(ख) उन व्यष्टिकों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं की पुनर्विलोकन करना जो पैरा 54 में वर्णित कार्यों में संलिप्त हों;

(ग) ऐसे दिशानिर्देश स्थापित करना जो उपरोक्त अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों;

(घ) अपने कार्य के बारे में सुरक्षा परिषद को 60 दिन के भीतर रिपोर्ट करना और उसके बाद समिति द्वारा उचित समझे गए अनुसार रिपोर्ट करना;

(ङ) समिति तथा इच्छुक सदस्य राज्यों के, विशेष रूप क्षेत्र के राज्यों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना जिसमें ऐसे राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए जो इन उपायों के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति के साथ मुलाकात कर सकें;

(च) उपरोक्त अधिरोपित उपायों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सभी राज्यों से उचित समझी जाने वाली सूचनाएं समीक्षा करना;

(छ) पैरा 54 और 55 में निहित उपायों के कथित उल्लंघन या अननुपालन से संबंधित सूचनाओं के बारे में जांच कर समुचित कदम उठाना;

58. सभी राज्यों से आह्वान करता है कि वे पैरा 54 को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने की दृष्टि से इस संकल्प को अंगीकृत करने के नब्बे दिन के भीतर अपने द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट समिति से करें;

59. महासचिव से अनुरोध करता है कि समिति के साथ परामर्श कर तेरह मास की आरंभिक अवधि का सृजन कर और निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए समिति के निर्देश से पैनल, जो पांच विशेषज्ञों का समूह (विशेषज्ञों का पैनल) है के कार्य को सहायता देने के लिए आवश्यक वित्तीय और सुरक्षात्मक प्रबंध करे;

(क) इस संकल्प में विनिर्दिष्ट अधिदेश, जिसमें समिति को उपरोक्त पैरा 54 में वर्णित गतिविधियों में संलिप्त होने वाले व्यक्तियों को बाद में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पदनाम से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाना शामिल है, को कार्यान्वित करने में सहायता देना;

(ख) इस संकल्प में निर्णीत उपायों के कार्यान्वयन, विशेषकर गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के संबंध में राज्यों, संयुक्त राज्य की संगत समस्याओं, क्षेत्रीय संगठनों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों से सूचनाएं एकत्र करना, जांच करना और उनका विश्लेषण करना;

(ग) समिति से परामर्श के उपरांत 5 मार्च, 2014 के बाद 5 जुलाई, 2014 तक एक अंतरिम रिपोर्ट और 5 नवम्बर, 2014 से पहले एक अद्यतन अंतिम रिपोर्ट परिषद को प्रदान करना;

(घ) इस संकल्प के पैरा 54 द्वारा लागू उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सूची पर संशोधित और अद्यतन सूचना में समिति की सहायता करना, जिसमें बायोमैट्रिक सूचना और सूचीबद्ध करने के लिए उपायों के आम तौर पर उपलब्ध वर्णनात्मक सार के लिए अतिरिक्त सूचना शामिल है;

60. आग्रह करता है कि सभी पक्ष और सभी सदस्य राष्ट्र, के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों से विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग सुनिश्चित करेंगे और पुनः आग्रह करता है कि विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में संलग्न सभी सदस्य राष्ट्रों और विशेष तौर पर व्यक्तियों, दस्तावेजों और स्थलों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि विशेषज्ञों का पैनल अपना दायित्व निभा सके;

सतत पुनर्विलोकन

61. पुष्टि करता है कि यह सीएसआर की स्थिति को सतत पुनर्विलोकन के अंतर्गत रखेगी और कि इस संकल्प में दिए गए उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए तैयार रहेगी, जिसमें अतिरिक्त उपायों द्वारा सुदृढ़ीकरण शामिल है, विशेष तौर पर सम्पत्तियों को फ्रीज करना, संशोधन, उपायों का निलंबन या हटाना, जिसकी इस संकल्प के अनुपालन और देश को स्थिर करने में प्राप्त हुई प्रगति में किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती है;

62. निर्णय करता है कि मामले को सक्रियता से बंद रखा जाए;

उपाबंध 2

2127 (2003) समिति द्वारा स्थापित और अनुरक्षित सूची

सृजित: 17 दिसंबर, 2015

सूची का संयोजन

सूची में दो खंड हैं जिन्हें नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:

क. व्यक्ति

ख. निकाय और अन्य समूह

सूची में ऐसे सभी अन्य व्यष्टिक और आसितत्व भी शामिल होंगे जिन्हें समिति के द्वारा अभिहित किया गया है वे समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

सूची से नाम हटाने की सूचना समिति की वेबसाइट http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml पर उपलब्ध है।

क. **व्यक्ति**

सीएफआई.002 नाम: 1: नौरेदीन 2: अदाम 3: लागू नहीं 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: क) साधारण ख) सुरक्षा मंत्री ग) प्रजातांत्रिक उपलब्धियों की रक्षा हेतु असाधारण समिति के महानिदेशक की जन्मतिथि: क) 1970 ख) 1969 ग) 1971 घ) एक जनवरी 1970 जन्म स्थान: नाडेल, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य उत्तम गुणवत्ता अर्थात: क) नोरलदीन अदाम ख) नौरेदीन अदाम ग) नुरूदीन अदाम घ) महामत नुरुदीन अदाम कम गुणवत्ता अर्थात: लागू नहीं राष्ट्रिकता: केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य पासपोर्ट संख्या: D00001184 राष्ट्रीय पहचान संख्या: लागू नहीं: पता: विराओ, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सूचीबद्ध: 09 मई, 2014 (04 नवंबर, 2014 को संशोधित) अन्य सूचना: लागू नहीं

सीएफआई.001 नाम: 1: फ्रैंकोइस 2: यांगोयूयोनदा 3: बोजाई 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: लागू नहीं जन्मतिथि: 14 अक्टूबर, 1946 जन्म स्थान: मोयूला, गाबोन उत्तम गुणवत्ता अर्थात: लागू नहीं राष्ट्रिकता: केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य पासपोर्ट संख्या: लागू नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: लागू नहीं: पता: यूगांडा सूचीबद्ध: 09 मई, 2014 (04 नवंबर, 2014 को संशोधित) अन्य सूचना: मां का नाम मार्टिनी कोफियो है।

सीएफआई.007 नाम: 1: हारुन 2: गये 3: लागू नहीं 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: फ्रंट पापुलेयर पोर ला रैनिसेंस द सेंट्राफिक्यू (एफपीआरसी) की राजनीतिक समन्वय की रिपोर्टर जन्मतिथि: लागू नहीं जन्म स्थान: लागू नहीं उत्तम गुणवत्ता अर्थात: क) हारुन गये ख) अरोन गये ग) अरोन गे कम गुणवत्ता अर्थात: लागू नहीं राष्ट्रीयता: लागू नहीं पासपोर्ट संख्या: लागू नहीं केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य संख्या: O00065772 (अक्षर ओ तीन जीरो से पहले है), 30 दिसंबर, 2019 को समाप्त है) राष्ट्रीय पहचान संख्या: लागू नहीं पता: बैंगूई, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सूचीबद्ध: 17 दिसंबर, 2015 अन्य सूचना: गये फ्रंट पापुलेयर पोर ला रैनिसेंस द सेंट्राफिक्यू (एफपीआरसी) (असूचीबद्ध) के नेता हैं, यह एक हाशिये पर आया हुआ बेंगूई में भूतपूर्व-सलेका सशस्त्र समूह है। वह तथाकथित बेंगूई के पीके5 "रक्षा समिति" (जिसे कि पीके5 रजिस्टेंस या टेक्सास के रूप में जाना जाता है) (असूचीबद्ध) जोकि निवासियों से धन छीनती है और धमकी देती है और शारीरिक हिंसा पहुंचाती है, के भी नेता हैं। 02 नवंबर, 2014 को नोरुदीन अदाम (सीएफआई002) द्वारा एफपीआरसी के राजनीतिक समन्वय के रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। 09 मई, 2014 को सीएआर पर संकल्प 2127 (2013) द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद समिति ने अदाम को अपनी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया था। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।

सीएफआई.008 नाम: 1: यूगिनी 2: बारेट 3: नगाईकोसेट 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: क) पूर्व कप्तान, सीएआर राष्ट्रपति अंगरक्षक ख) भूतपूर्व कप्तान सीएआर जल सेना जन्म तिथि: लागू नहीं जन्म स्थान: लागू नहीं उत्तम गुणवत्ता अर्थात: क) यूगिनी नगाईकोसेट ख) यूगिनी नगाईकोईसेट ग) यूगिनी नगाकोसेट घ) यूगिनी बारेट नगाईकोसी ड़) यूगिनी नगाईकोउसेट कम गुणवत्ता अर्थात क) "द बूचर ऑफ पौआ" ख) नगाकोसेट राष्ट्रिकता: लागू नहीं पासपोर्ट संख्या: लागू नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सशस्त्र बल (एफएसीए) सैन्य पहचान संख्या 911-10-77 पता: बेंगूई, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य सूचीबद्ध: 17 दिसंबर, 2015 अन्य सूचना: कप्तान यूगिनी बारेट नगाईकोसेट फ्रैंकोईस बोजाई (सीएफआई001) भूतपूर्व

राष्ट्रपति के राष्ट्रपति अंगरक्षकों के भूतपूर्व सदस्य हैं और ब्लाका विरोधी आंदोलन के साथ संबंधित हैं। वह 17 मई, 2015 को जेल से फरार हो गए थे जब उनका ब्राजीविली से प्रत्यर्पण हो रहा था और उन्होंने अपना ब्लाका विरोधी संगठन सृजित किया जिसमें भूतपूर्व एफएसीए लड़ाके शामिल थे।

सीएफआई.005 नाम: 1: हबीब 2: सौसोऊ 3: लागू नहीं 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: क) लोबाए क्षेत्र हेतु ब्लाका विरोध का समन्वयकर्ता ख) केंद्रीय अफ्रीकी बल संगठन (एफएसीए) जन्मतिथि: 13 मार्च, 1980 जन्म स्थान: बोडा, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (दूरभाष +23672198628) सूचीबद्ध: 20 अगस्त, 2015 अन्य सूचना: 11 अप्रैल, 2014 को बोडा और 28 जून, 2014 को पूरे लोबाए क्षेत्र के लिए जोन कमांडर (कॉमजोन) के रूप में नियुक्त उसके नेतृत्व में हत्याएं की गईं, मानवतावादी संगठनों और सहायता प्रदान करने वाले कामगारों के विरुद्ध झगड़े और हमले किए गए। शारीरिक चित्रण: आंखों का रंग: भूरा; बालों का रंग; काला; लंबाई: 160 सेमी; वजन: 60 किलो। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।

सीएफआई.004 नाम: 1: अल्फ्रेड 2: येकाटोम 3: लागू नहीं 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: केंद्रीय अफ्रीकी सशस्त्र बलों का मुख्य संगठन (एफएसीए) जन्मतिथि: 23 जून, 1976 जन्म स्थान: केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य उत्तम गुणवत्ता अर्थात: क) अल्फ्रेड येकाटोम सारागबा ख) अल्फ्रेड येकाटोम ग) अल्फ्रेड सारागबा निम्न गुणवत्ता: अर्थात: क) कर्नल रोमबोट ख) कर्नल रैम्बो ग) कर्नल रामबोट घ) कर्नल रामबोट ड़) कर्नल रोमबोह राष्ट्रीयता: केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य पासपोर्ट संख्या: लागू नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: लागू नहीं पता: क) मबाइकी, लोबाए क्षेत्र, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (दूरभाष. +23672154707/+23675094341) ख) बिम्बो, ओम्बिला-म्पोको क्षेत्र, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (पिछला स्थान) सूचीबद्ध: 20 अगस्त, 2015 अन्य सूचना: सशस्त्र सैन्य बल के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और उसका नियंत्रण किया। पिता का नाम: (दत्तक पिता) येकाटोम सारागबा (येकाटोम सारागबा के नाम के रूप में भी जाना जाता है)। यूविस सारागबा का भाई, बटालिमो में ब्लाका विरोध हेतु कमांडर, लोबाए क्षेत्र और एफएसीए का भूतपूर्व सैनिक। शारीरिक चित्रण: आंखों का रंग: काला; बालों का रंग: गहरा; रंग: काला; लंबाई: 170 सेमी; वजन: 100 किलो। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।

सीएफआई.006 नाम: 1: उमर 2: यूनस अब्दुल्ला 3: लागू नहीं 4: लागू नहीं

शीर्षक: लागू नहीं पदनाम: सेलेका का भूतपूर्व जनरल जन्मतिथि: 2 अप्रैल, 1970 जन्म स्थान: लागू नहीं उत्तम गुणवत्ता अर्थात: क) उमर यूनस ख) उमर यूनस ग) अल्फ्रेड सारागबा निम्न गुणवत्ता: अर्थात: क) कर्नल रोमबोट ख) कर्नल रैम्बो ग) उमर सोडियम घ) उमर यूनस एम' बेटीबानगुई निम्न गुणवत्ता: अर्थात लागू नहीं राष्ट्रीयता: सूडान पासपोर्ट संख्या: सीएआर राजनयिक पासपोर्ट संख्या: D00000898, 11 अप्रैल 2013 को जारी (10 अप्रैल, 2018 तक वैध) राष्ट्रीय पहचान संख्या: लागू नहीं पता: क) बरिया, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (दूरभाष.+23675507560) ख) बिराओ, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य ग) टुलूस, दक्षिणी दारफूर, सूडान (पिछला स्थान) सूचीबद्ध: 20 अगस्त, 2015 (20 अक्टूबर, 2015 को संशोधित) अन्य सूचना: यह एक हीरों का तस्कर है और सलेका का थ्री-स्टार जनरल है और भूतपूर्व सीएआर अंतरिम अध्यक्ष माइकल डिजोटोडिया का नजदीकी विश्वासपात्र है। शारीरिक चित्रण: बालों का रंग: काला; लंबाई: 180 सेमी; फूलानी जातीय समूह से संबंधित है। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है।

ख. **निकाय और अन्य समूह**

सीएफआई.001 नाम: ब्यूरो द अचात द दायमंत एन सेंट्राफ्रिक्यू/क्रादियम अर्थात क) बादिका/कारादियम ख) कारादियम एफकेए: लागू नहीं पता: क) बीपी 333, बैंगूई, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (दूरभाष +3232310521, फैक्स. +3232331839, ईमेल: Kardiam.bvba@skynet.be; वेबसाइट: www.grpoupeabdoulkarim.com) ख) एंटब्रैप, बेल्जियम सूचीबद्ध: 20 अगस्त, 2015 अन्य सूचना: 12 दिसंबर 1986 से अब्दुल्ला-करीम दान-आजुमी की अध्यक्षता में और 1 जनवरी, 2005 से आबुबक्र महामत की अध्यक्षता के अंतर्गत। शाखाओं में मिनयर और सौफिया टीपी (दौला, कैमरोन) शामिल है।

[फा. सं. यू. II/152/25/2014]

रुदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 16th May 2016

S.O.1829(E).-Whereas the Security Council of the United Nations in its 7072nd meeting adopted Resolution 2127(2013) [appended to this order as Annexure 1] on 5 December 2013, under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all member states to immediately take necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Central African Republic (CAR), from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related material, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories;

And whereas the Security Council of the United Nations in its 7103rd meeting adopted Resolution 2134(2014) on 28 January 2014, which required all member states to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee established pursuant to paragraph 57 of resolution 2127(2013) and pursuant to paragraph 32 of resolution 2134(2014) which required all states to freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee established pursuant to paragraph 57 of resolution 2127 of 2013, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

And whereas, Resolution 2196(2015) of the Security Council of the United Nations adopted on 22 January 2015 require the states to fully implement the provisions contained in Resolutions 2134(2014) and 2127(2013);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Central African Republic (hereinafter referred to as CAR);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order to give effect to the said Resolutions, namely;-

1. Short title and commencement: - (1) This order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Central African Republic Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - (1) In this order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Resolution" means the Resolution 2127 (2013) of the Security Council of the United Nations adopted on the 5th December, 2013 under chapter VII of the Charter of the United Nations regarding Central African Republic and includes Resolutions 2121(2013), 2134(2014), 2149(2014) and 2181(2014), 2196 (2015) and 2217(2015) adopted by the Security Council under chapter VII of the charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of CAR;

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;

(c) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 57 of the Resolution 2127(2013).

(2) Words and expressions used but not defined in this order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. Application of Order to individuals and entities:-The provisions of this Order, as amended from time to time, shall apply to individuals and entities falling within the purview of the said Resolutions and the Annexure 2 of the Schedule appended to this order.

For the purposes of this Order, the term individual and entities means the individual and entities as designated by such Committee from time to time and updated and specified on it's website: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution: - The Central Government while exercising its powers under the relevant laws shall have all the powers to take necessary measures to,

(1). Arms Embargo

(a) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the CAR, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories;

(b) seize, register and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a state other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by Paragraph 1 of resolution 2196(2015):

Provided that the aforesaid provisions of arms embargo will not be applicable in following cases, namely: –

(i) supplies intended solely for the support of or use by United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), the African Union-Regional Task Force (AU-RTF), and the European Union Missions and French Forces deployed in the CAR (as stated in sub-paragraph (a) of paragraph 1 of resolution 2196(2015) ;

(ii) MINUSCA, the AU-RTF, the European Union Missions and French Forces operating in the CAR to provide organisational advice or non-operational training to the CAR government forces as relevant to the implementation of their mandates, and request these forces to report on measures taken in this regard as part of their regular reports to the Council (as stated in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(iii) supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee (as stated in sub-paragraph (c) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(iv) protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the CAR by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only (as stated in sub-paragraph (d) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(v) supplies of small arms and other related equipment intended solely for use in international patrols providing security in the Sangha River Tri-national Protected Area to defend against poaching, smuggling of ivory and arms, and other activities contrary to the national laws of the CAR or the CAR's international legal obligations (as stated in sub-paragraph (e) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(vi) supplies of arms and other related lethal equipment to the CAR security forces, intended solely for support of or use in the CAR process of Security Sector Reform (SSR), as approved in advance by the Committee (as stated in sub-paragraph (f) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(vii) other sales or supply of arms and related materiel or provision of assistance or personnel, as approved in advance by the Committee (as stated in sub-paragraph (g) of paragraph 1 of resolution 2196(2015);

(2). Travel Ban

prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee: provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory:

Provided further that the aforesaid provisions of travel ban will not be applicable in following cases, namely: -

(i) humanitarian need, including religious obligation as determined on a case by case basis (as stated in sub-paragraph (a) of paragraph 5 of resolution 2196(2015);

(ii) entry or transit necessary for the fulfilment of a judicial process (as stated in sub-paragraph (b) of paragraph 5 of resolution 2196(2015);

(iii) furtherance of the objectives of peace and national reconciliation in the CAR and stability in the region as determined on a case to case basis (as stated in sub-paragraph (c) of paragraph 5 of resolution 2196(2015);

(3). Asset Freeze

(a) freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories and which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

(b) ensure that funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee:

Provided that the aforesaid provisions of asset freeze will not be applicable to funds and other economic measures in following cases, namely: –

i) that have been determined by the Government of India to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources as stated in sub-paragraph (a) of paragraph 8 of resolution 2196(2015);

ii) to be necessary for extraordinary expenses as approved by the Committee as stated in sub-paragraph (b) of paragraph 8 of resolution 2196(2015);

iii) to be the subject of judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the relevant state or member states to the Committee as stated in sub-paragraph (c) of paragraph 8 of resolution 2196(2015);

iv) as determined by the Government of India, interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution:

provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen as stated in paragraph 9 of resolution 2196(2015);

v) Payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity: provided that the concerned states have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated, and after notification by the concerned states to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorise, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to such authorisation as stated in paragraph 10 of resolution 2196(2015).

Schedule

[See paragraph 2 (b)]

Annexure 1

Text of United Nations Security Council Resolution 2127 (2013) adopted on 5th December, 2013.

Resolution 2127 (2013)

Adopted by the Security Council at its 7072nd meeting, on 5 December 2013

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and statements on the Central African Republic (CAR), in particular resolution 2121 (2013),

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of the CAR, and recalling the importance of the principles of good-neighbourliness and regional cooperation,

Expressing deep concern at the continuing deterioration of the security situation in the CAR, characterized by a total breakdown in law and order, the absence of the rule of law, intersectarian tensions and further expressing its grave concern about the consequences of instability in the CAR, on the central African region and beyond, and stressing in this regard the need for the international community to respond swiftly,

Remaining seriously concerned by multiple and increasing violations of international humanitarian law and the widespread human rights violations and abuses, notably by former Seleka and militia groups, in particular those known as the "antibalaka", including those involving extrajudicial killings, enforced disappearances, arbitrary arrests and detention, torture, sexual violence against women and children, rape, recruitment and use of children and attacks against civilians,

Underlying its particular concern at the new dynamic of violence and retaliation and the risk of it degenerating into a countrywide religious and ethnic divide, with the potential to spiral into an uncontrollable situation, including serious crimes under international law in particular war crimes and crimes against humanity, with serious regional implications,

Further expressing concern at the insufficient capacity of the police, justice and corrections institutions to hold perpetrators of such violations and abuses accountable,

Condemning all violence targeting members of ethnic and religious groups and their leaders and *encouraging* all parties and stakeholders in the CAR to support and contribute effectively, with the assistance of the international community, to intercommunal and interfaith dialogues, aiming at alleviating the current tensions on the ground,

Reiterating that all perpetrators of such acts must be held accountable and that some of those acts may amount to crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), to which the CAR is a State party, and further *recalling* the statement made by the Prosecutor of the ICC on 7 August 2013,

Reiterating its condemnation of the devastation of natural heritage and noting that poaching and trafficking of wildlife are among the factors that fuel the crisis in the CAR,

Noting the decision by the Kimberley Process to suspend the CAR,

Welcoming the report of the Secretary-General dated 15 November 2013, on the situation in the CAR and on the planning of MISCA and taking note of the detailed options for international support to MISCA,

Recalling that the Transitional Authorities have the primary responsibility to protect the civilian population,

Further recalling its resolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) and 1894 (2009) on the protection of civilians in armed conflict, its resolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) and 2068 (2012) on Children and Armed Conflict and its resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013)and 2122 (2013) on Women, Peace and Security and *calling upon* the parties in the CAR to engage with the Special Representative on Children and Armed Conflict and the Special Representative on Sexual Violence in Conflict,

Stressing the importance that the Transitional Authorities ensure women's full and equal participation in all discussions pertinent to the resolution of the conflict and in all phases of electoral processes,

Emphasizing the risk of the situation in the CAR providing a conducive environment for transnational criminal activity, such as that involving arms trafficking and the use of mercenaries as well as a potential breeding ground for radical networks,

Recalling its resolution 2117 (2013) and *expressing grave concern* at the threat to peace and security in the CAR arising from the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of small arms and light weapons,

Expressing continued concern about the activity of the Lord's Resistance Army (LRA) in the CAR due in part to the prevailing security situation,

Reiterating its serious concern at the worsening humanitarian situation in the CAR, strongly *condemning* the repeated attacks on UN staff and humanitarian personnel, goods, assets and premises and the looting of humanitarian aid which have resulted in obstructing the delivery of humanitarian aid,

Underscoring the importance of respecting the United Nations guiding principles of humanitarian assistance, including neutrality, impartiality, humanity and independence in the provision of humanitarian assistance,

Urging all parties to take the necessary steps to ensure the safety and security of humanitarian personnel and United Nations and its associated personnel and their assets,

Recalling the letter of its President dated 29 October, approving the deployment of a guard unit to the CAR as part of BINUCA and taking note of the Secretary-General's letter of 26 November 2013 highlighting progress towards the deployment of a guard unit within BINUCA, as well as the consent of the Transitional Authorities as expressed on 5 November for such a guard unit and *welcoming* in this regard the contribution of the Kingdom of Morocco to this unit,

Welcoming the decision of the African Union Peace and Security Council (AU-PSC) on 19 July 2013 to authorize the deployment of the "African-led International Support Mission in the CAR" (referred to hereafter as MISCA), as well as the adoption of a new concept of operation on 10 October 2013,

Reiterating its appreciation for the ongoing efforts of the Economic Community of Central African States (ECCAS) and its Mediator regarding the CAR crisis, as well as the efforts of the African Union to resolve the crisis, and the efforts of the International Contact Group on the CAR,

Welcoming the strong engagement of the European Union (EU) for the CAR, in particular the Foreign Affairs Council conclusions of 21 October 2013 and the commitment of the EU to contribute financially to the deployment of MISCA within the framework of the African Peace Facility, *further welcoming* ongoing discussions within the EU on possible additional support,

Welcoming the efforts made by the Secretariat to expand and improve the roster of experts for the Security Council Subsidiary Organs Branch, bearing in mind the guidance provided by the Note of the President (S/2006/997),

Taking note of the declaration adopted by the International Contact Group on the CAR at its third meeting held in Bangui on 8 November 2013,

Taking note of the AU-PSC Communiqué of 13 November 2013, which urges the Security Council to quickly adopt a resolution endorsing and authorizing the deployment of MISCA,

Taking note of the letter dated 22 November 2013 from the Chair of the Peacebuilding Commission, stressing the importance of ensuring that peacebuilding needs in CAR are addressed immediately following stabilization of the security and humanitarian situation and, in this regard, emphasizing the Commission's role in mobilizing and sustaining the attention and commitment of partners and actors in support of related United Nations and regional efforts,

Taking note of the letter by the CAR authorities of 20 November 2013 requesting the support to MISCA by French forces,

Underlining the importance of all subregional, regional and international organizations acting in the CAR improving their coordination with one another,

Determining that the situation in the CAR constitutes a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

Political process

1. *Underlines* its support for the Libreville Agreements of 11 January 2013, the N'Djamena Declaration of 18 April 2013, the Brazzaville Appeal of 3 May 2013 and the declaration adopted by the International Contact Group on the CAR at its third meeting held in Bangui on 8 November 2013;

2. *Reiterate* that, according to the political agreement signed in Libreville, the Prime Minister is the Head of the Government of National Unity which is in charge of implementing the priorities defined in article 5 of this agreement and urges all parties to respect this agreement;

3. *Further reiterates* that, in accordance with the African Charter on Democracy, Elections and Governance, the Libreville Agreements, the relevant ECCAS decisions and the Constitutional Charter for the Transition, the Head of Transition, the Prime Minister, the President of the National Transition Council (NTC), the Ministers and members of the NTC bureau cannot participate in the elections intended to restore the constitutional order;

4. *Urges* the Transitional Authorities to take all appropriate steps for immediate disarmament, cantonment and dismantling of all armed groups, throughout the whole territory of the country, consistent with international standards;

5. *Demands* the swift implementation of transitional arrangements referred to in paragraph 1 above, which shall lead to the holding of free, fair and transparent presidential and legislative elections 18 months after the beginning of the transition period as defined in article 102 of the Transitional Charter which took effect on 18 August 2013, and called for by the N'Djamena Declaration;

6. *Deplores* that the Transitional Authorities have made only limited progress towards the implementation of key elements of the Transitional Framework, notably regarding the organization of elections by February 2015; and in this regard, calls upon the Transitional Authorities to swiftly put in place the National Authority for the elections which will enable the United Nations to identify the technical requirements for the successful organization of elections;

7. *Urges* the Transitional Authorities to implement the "Republican Pact" signed by the transitional government on 7 November 2013, under the aegis of the Sant' Egidio, as a credible framework to promote an inclusive national dialogue between all political, social and religious parties of the country, and requests the Secretary-General, through his Special Representative for the CAR, to take appropriate steps to assist the Transitional Authorities to enhance their mediation capacity and to facilitate and strengthen such a dialogue;

8. *Expresses its intention* to closely monitor the management of the Transition and commends the role of the Special Representative of the Secretary General (SRSG) and the ECCAS mediator;

9. *Expresses* its support for BINUCA's critical role in helping to restore the constitutional order and supporting the ongoing political process in the implementation of the Libreville agreement and the N'Djamena road map and the electoral process;

10. *Decides* that any attempt to delay, impede or violate the transitional arrangements referred to in paragraph 1 above shall be considered as an impediment to the peace process and could lead to the imposition of appropriate measures defined in paragraph 56 below;

DDR/SSR

11. *Urges* Transitional Authorities to develop and implement disarmament, demobilization and reintegration (DDR) or disarmament, demobilization, repatriation, reintegration and resettlement (DDRRR) programmes including for former Seleka elements who will not be integrated into the security forces and children associated with armed forces and groups;

12. *Further urges* the Transitional Authorities to develop and to implement a comprehensive and nationally owned Security Sector Reform (SSR) programme, which includes appropriate vetting procedures to reconstitute professional, balanced and representative CAR security forces selected on the basis of the respect for human rights and nationality, and calls upon the Transitional Authorities to cooperate with BINUCA and MISCA for these purposes;

13. *Calls on* Member States, regional and international organizations, including the African Union, the United Nations and the European Union, to coordinate their assistance to the Transitional Authorities in their efforts towards reforming the security sector;

Rule of law

14. *Underlines* the importance of strengthening the capacity of police, justice and correction institutions to uphold the rule of law and bring to justice perpetrators of violations of international humanitarian law, international human rights law and of human rights abuses;

15. *Further stresses* the importance of strengthening support to the Transitional Authorities to enable them to address security challenges and extend state authority;

Protection of natural resources

16. *Condemns* the illegal exploitation of natural resources in the CAR which contributes to the perpetuation of the conflict, and underlines the importance of bringing an end to these illegal activities, including by applying the necessary pressure on the armed groups, traffickers and all other actors involved;

Promotion and protection of human rights

17. *Strongly condemns* the continued violations of international humanitarian law and the widespread human rights violations and abuses, perpetrated by armed groups, and specifically former Seleka elements, anti-Balaka elements and the LRA, that threaten the population and stresses that the perpetrators of such violations should be brought to justice;

18. *Urges* the Transitional Authorities to ensure, without delay, that all perpetrators of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law are held accountable;

19. *Expresses deep concern* at the escalation of interreligious and intercommunal violence as well as violence targeting members of ethnic and religious groups and their leaders, and urges all parties and stakeholders in CAR, with the assistance of the international community, to work together in order to strengthen intercommunal and interfaith dialogues, to prevent further deterioration of the situation on the ground;

20. *Reiterates its demands* that all armed groups, in particular former Seleka elements and anti-Balaka elements, prevent and end the recruitment and use of children, that all parties protect and consider as victims those children who have been released or otherwise separated from armed forces and armed groups, and emphasizes the need to pay particular attention to the protection, release and reintegration of all children associated with armed groups;

21. *Underscores* the primary responsibility of the Transitional Authorities to protect the population, as well as to ensure the security and unity in its territory, and stresses their obligation to ensure respect for international humanitarian law, human rights law and refugee law;

22. *Calls upon* all parties to armed conflict in the CAR, including former Seleka elements and anti-Balaka elements, to issue clear orders prohibiting all violations and abuses committed against children in violation of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, abductions and attacks on schools and hospitals and further calls upon Transitional Authorities to make and implement specific commitments on timely investigation of alleged abuses in order to hold perpetrators accountable and to ensure that those responsible for such violations and abuses are excluded from the security sector;

23. *Calls upon* all parties to armed conflict in the CAR, including former Seleka elements to issue clear orders against sexual violence, and further calls upon Transitional Authorities to make and implement specific commitments on timely investigation of alleged abuses in order to hold perpetrators accountable, in line with its resolutions 1960 (2010) and 2106 (2013), and to facilitate immediate access for victims of sexual violence to available services;

24. *Requests* that the Secretary-General rapidly establish an international commission of inquiry for an initial period of one year, including experts in both international humanitarian law and human rights law, in order immediately to investigate reports of violations of international humanitarian law, international human rights law and abuses of human rights in CAR by all parties since 1 January 2013, to compile information, to help identify the perpetrators of such violations and abuses, point to their possible criminal responsibility and to help ensure that those responsible are held accountable, and calls on all parties to cooperate fully with such a commission;

25. *Further requests* the Secretary-General to report to the Security Council on the findings of the commission of inquiry six months and one year after the adoption of this resolution;

26. *Further requests* the Secretary-General in conjunction with the High Commissioner on Human Rights (HCHR) to take appropriate steps to increase the number of human rights monitors deployed in the CAR;

27. *Encourages* Member States to take steps to strongly discourage their nationals from travelling to the CAR to participate in activities that contribute to undermining the peace, threatening the political process, or supporting the violation of human rights;

Deployment of MISCA

28. *Authorizes* the deployment of MISCA for a period of twelve months after the adoption of this resolution, to be reviewed six months after the adoption of this resolution, which shall take all necessary measures, consistent with the concept of operations adopted on 19 July 2013 and reviewed on 10 October 2013, to contribute to;

(i) the protection of civilians and the restoration of security and public order, through the use of appropriate measures;

(ii) the stabilization of the country and the restoration of State authority over the whole territory of the country;

(iii) the creation of conditions conducive to the provision of humanitarian assistance to populations in need;

(iv) the DDR or DDRRR process led by the Transitional Authorities and coordinated by BINUCA;

(v) national and international efforts to reform and restructure the defence and security sectors led by the Transitional Authorities and coordinated by BINUCA;

29. *Welcomes* the consultations held between the AU Commission and countries from the central African region and the support provided by the United Nations, and Member States to finalize all aspects of the transition from MICOPAX to MISCA, including the outcome of the meetings held in Addis Ababa from 7 to 10 October 2013;

30. *Requests* the AU and ECCAS to ensure that the transfer of authority from MICOPAX to MISCA takes effect on 19 December 2013 and, in this regard, *notes that* the AU Commission has been called by the AU-PSC to urgently and successfully transfer authority from MICOPAX to MISCA and further welcomes the appointment of the new leadership of MISCA;

31. *Emphasizes* the need for strong coordination and information-sharing between BINUCA, the African Union-Regional Task Force (AU-RTF) and the MISCA in the context of their protection of civilians activities and counter-LRA operations;

32. *Requests* the African Union, in close coordination with the Secretary General and other international organizations and bilateral partners involved in the crisis, to report to the Security Council every 60 days on the deployment and activities of MISCA;

33. *Emphasizes* the need for MISCA, and all military forces in CAR, while carrying out their mandate, to act in full respect of the sovereignty, territorial integrity and unity of CAR and in full compliance with applicable international humanitarian law, human rights law and refugee law and *recalls* the importance of training in this regard;

International support

34. *Welcomes* contributions already made by ECCAS countries, *calls upon* African countries (MAR) to contribute to MISCA so it is able to fulfil its mandate, *and further encourages* Members States and regional organizations to cooperate closely with the African Union, ECCAS the United Nations, troop-contributing countries and other organizations and donors to this end;

35. *Stresses* that all new African troops shall be integrated fully into the MISCA command and control structures, and shall operate in accordance with MISCA's mandate as set out in paragraph 28 of this resolution;

36. *Calls upon* the Transitional Authorities and all other parties in the CAR to cooperate fully with the deployment and operations of MISCA, in particular by ensuring its safety, security and freedom of movement with unhindered and immediate access throughout the territory of the CAR to enable it to fully carry out its mandate and *further calls upon* neighbouring countries of the CAR to take appropriate measures to support the implementation of MISCA mandate;

UN support

37. *Requests* the Secretary-General to continue to enhance the provision of technical and expert advice to the African Union in the planning and deployment of MISCA as well as on the implementation of the MISCA Concept of Operations, on the establishment of MISCA mission headquarters, with the view to strengthening its command and control and administrative structures, improving communication and information technology infrastructure and providing necessary training;

38. *Further requests* the Secretary-General to support MISCA in countering illicit proliferation of all arms and related materials of all types, in particular small arms to secure stockpiles of explosive weaponry, clear explosive remnants of war and conventional munitions disposal;

39. *Underscores* the need to establish appropriate coordination mechanisms between BINUCA and MISCA;

40. *Underlines* that the support outlined in paragraphs 37 and 43 of this resolution must be in full compliance with the United Nations Human Rights and Due Diligence Policy on UN support to non-UN Security forces (HRDDP);

Funding

41. *Underlines* that regional organizations have the responsibility to secure human, financial, logistical and other resources for the work of their organizations including through contributions by their members and support from their partners;

42. *Calls upon* Member States and international, regional and sub- regional organizations, to provide financial support and contributions in kind to MISCA to enable its deployment and implementation of its mandate and welcomes in this regard the willingness of the European Union to provide such financial support to MISCA through the mobilization of the African Peace Facility;

43. *Requests* the Secretary-General to establish a trust fund for MISCA through which Member States and international, regional and subregional organizations can provide financial support to MISCA and *further requests* the Secretary-General to support, in coordination with the EU, the holding of a donors conference of Member States and relevant international, regional and subregional organizations which will be organized by the African Union to solicit contributions, notably to this trust fund, as soon as possible;

44. *Calls upon* Member States to contribute generously and promptly to the new UN trust fund for MISCA, while noting that the existence of the trust fund does not preclude the conclusion of direct bilateral arrangements and *further requests* the African Union, in consultation with and the Secretary-General, to submit budgetary requests to this trust fund;

45. *Notes* that the AU-PSC communiqué of 13 November 2013 expresses its appreciation to bilateral and multilateral partners of the AU who are committed to providing support for the deployment and operation of MISCA;

PKO

46. *Takes note* of the position of the AU and ECCAS that MISCA may require eventual transformation into a United Nations peacekeeping operation and in this regard welcomes the Secretary-General's intention to undertake the necessary preparations for the possible transformation of MISCA into a United Nations peacekeeping operation;

47. *Requests* the Secretary-General to undertake expeditiously contingency preparations and planning for the possible transformation into a United Nations peacekeeping operation, stressing that a future decision of this Council would be required to establish such a mission;

48. *Requests* the Secretary-General, in consultations with the AU, to report to the Security Council no later than 3 months from the adoption of this resolution with recommendations on the possible transformation of MISCA to a United Nations peacekeeping operation, including an assessment of progress towards meeting the appropriate conditions on the ground referred to in paragraph 45 of the Secretary-General report dated 15 November 2013;

French forces

49. *Notes* the AU-PSC communiqué of 13 November 2013 welcoming the proposed strengthening of the French forces to better support MISCA and encouraging the AU Commission to work towards the establishment of an effective operational coordination between MISCA and the French forces;

50. *Authorizes* the French forces in the CAR, within the limits of their capacities and areas of deployment, and for a temporary period, to take all necessary measures to support MISCA in the discharge of its mandate as provided by paragraph 28 above; *requests* France to report to the Council on the implementation of this mandate in the CAR and to coordinate its reporting with the reporting by the African Union referred to in paragraph 32 above and *decides* to review this mandate within six months after its commencement and *calls upon* the Transitional Authorities to cooperate fully with the deployment and operations of French forces, in particular by ensuring its safety, security and freedom of movement with unhindered and immediate access throughout the territory of CAR and *further calls upon* neighbouring countries of CAR to take appropriate measures to support the action of French forces;

Humanitarian principles, access, funding and action

51. *Expresses its serious concern* at the deterioration of the humanitarian situation in the CAR and the restricted humanitarian access resulting from increased insecurity and attacks against humanitarian workers;

52. *Demands* that all parties to the conflict, in particular the former Seleka, ensure the rapid, safe and unhindered access of humanitarian organizations and relief personnel and the timely delivery of humanitarian assistance to populations in need, while respecting the UN guiding principles of humanitarian assistance, including neutrality, impartiality, humanity and independence in the provision of humanitarian assistance;

53. *Calls upon* Member States to respond swiftly to the United Nations' humanitarian appeals to meet the spiralling needs of people inside the CAR and refugees who have fled to neighbouring countries and encourages to this effect the swift implementation of humanitarian projects by UN and humanitarian organizations;

Sanctions regime

Arms embargo

54. *Decides* that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the CAR, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories, and decides further that this measure shall not apply to;

(a) Supplies intended solely for the support of or use by MICOPAX, MISCA, BINUCA and its guard unit, the AU-RTF, and the French forces deployed in the CAR;

(b) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee established pursuant to paragraph 57 below;

(c) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the CAR by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;

(d) Supplies of small arms and other related equipment intended solely for use in international patrols providing security in the Sangha River Tri-national Protected Area to defend against poaching, smuggling of ivory and arms, and other activities contrary to the national laws of CAR or CAR's international legal obligations;

(e) Supplies of arms and other related lethal equipment to the CAR security forces, intended solely for support of or use in the CAR process of SSR, as approved in advance by the Committee; or

(f) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;

55. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 54 of this resolution, seize, register and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraph 54 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;

Future measures

56. *Expresses* its strong intent to swiftly consider imposing targeted measures, including travel bans and assets freezes, against individuals who act to undermine the peace, stability and security, including by engaging in acts that threaten or violate transitional agreements, or by engaging or providing, support for actions that threaten or impede the political process or fuel violence, including through violations of human rights and international humanitarian law, the recruitment and use of children in armed conflict in violation of applicable international law, sexual violence, or supporting the illegal armed groups or criminal networks through the illicit exploitation of natural resources, including diamonds, in the CAR, or by violating the arms embargo established in paragraph 54;

Sanctions Committee

57. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake to following tasks;

(a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 54 and 55 above with a view to strengthening, facilitating and improving implementation of these measures by Member States;

(b) To review information regarding those individuals who may be engaging in the acts described in paragraph 54;

(c) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(d) To report within 60 days to the Security Council on its work and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(e) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(f) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed above;

(g) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in paragraphs 54 and 55;

58. *Calls upon* all Member States to report to the Committee within ninety days from the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraph 54;

59. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period of thirteen months, in consultation with the Committee, and to make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel, a group of up to five experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee to carry out the following tasks;

(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution, including through providing the Committee with information relevant to the potential designation at a later stage of individuals who may be engaging in the activities described in paragraph 54 above;

(b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organizations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents of non-compliance;

(c) Provide to the Council, after discussion with the Committee, an update no later than 5 March 2014, an interim report by 5 July 2014 and a final report no later than 5 November 2014;

(d) To assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals violating measures imposed by paragraph 54 of this resolution, including through the provision of biometric information and additional information for the publicly-available narrative summary of reasons for listing;

60. *Urges* all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel of experts to execute its mandate;

Continuous review

61. *Affirms* that it shall keep the situation in the CAR under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening through additional measures, in particular the freezing of assets, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the progress achieved in the stabilization of the country and compliance with this resolution;

62. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annexure 2

The List established and maintained by the 2127 (2003) Committee

Generated on: 17 December 2015

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

This list will also include all such other individuals and entities as designated by the Committee which will be available on the Committee's website.

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

A**. Individuals**

CFi.002 Name: 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: na 4: na
Title: na Designation: a) General b) Minister for Security c) Director General of the "Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements DOB: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1 Jan. 1970 POB: Ndele, Central African Republic Good quality a.k.a.: a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam c) Nourreddine Adam d) Mahamat Nouradine Adam Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no.: D00001184 National identification no.: na Address: Birao, Central African Republic Listed on: 9 May 2014 (amended on 4 Nov 2014) Other information: na

CFi.001 Name: 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: na
Title: na Designation: na DOB: 14 Oct. 1946 POB: Mouila, Gabon Good quality a.k.a.: Bozize Yangouvonda Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no.: na National identification no.: na Address: Uganda Listed on: 9 May 2014 (amended on 4 Nov 2014) Other information: Mother's name is Martine Kofio

CFi.007 Name: 1: HAROUN 2: GAYE 3: na 4: na
Title: na Designation: Rapporteur of the political coordination of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) DOB: a) b) POB: na Good quality a.k.a.: a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: Central African Republic number O00065772 (letter O followed by 3 zeros), expires 30 Dec. 2019) National identification no.: na Address: Bangui, Central African Republic Listed on: 17 Dec. 2015 Other information: Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called "Defense Committee" of Bangui's PK5 (known as PK5 Resistance' or 'Texas') (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

CFi.008 Name: 1: EUGÈNE 2: BARRET 3: NGAÏKOSSET 4: na
Title: na Designation: a) Former Captain, CAR Presidential Guard b) Former Captain, CAR Naval Forces DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset Low quality a.k.a.: a) "The Butcher of Paoua" b) Ngakosset Nationality: na Passport no.: na National identification no.: Central African Republic armed forces (FACA) Military identification number 911-10-77 Address: Bangui, Central African Republic Listed on: 17 Dec. 2015

Other information: Captain Eugène Barret Ngaïkosset is a former member of former President François Bozizé's (CFi.001) presidential guard and associated with the anti-Balaka movement. He escaped from jail on 17 May 2015 following his extradition from Brazzaville and created his own anti-balaka faction including former FACA fighters.

CFi.005 Name: 1: HABIB 2: SOUSSOU 3: na 4: na
Title: na Designation: a) Coordinator of anti-Balaka for Lobaye province b) Corporal of the Central African Armed Forces (FACA) DOB: 13 Mar. 1980 POB: Boda, Central African Republic Good quality a.k.a.: Soussou Abib Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no.: na National identification no.: na Address: Boda, Central African Republic (Tel. +236 72198628) Listed on: 20 Aug. 2015 Other information: Appointed as zone commander (COMZONE) of Boda on 11 April 2014 and on 28 June 2014, for the entire Lobaye Province. Under his command, targeted killings, clashes and attacks against humanitarian organizations and aid workers have continued to take place. Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 160cm; weight: 60kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

CFi.004 Name: 1: ALFRED 2: YEKATOM 3: na 4: na
Title: na Designation: Chief Corporal of the Forces Armées Centrafricaines (FACA) DOB: 23 Jun. 1976 POB: Central African Republic Good quality a.k.a.: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba Low quality a.k.a.: a) Colonel Rombhot b) Colonel Rambo c) Colonel Rambot d) Colonel Rombot e) Colonel Romboh Nationality: Central African Republic Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic (previous location) Listed on: 20 Aug. 2015 Other information: Has controlled and commanded a large group of armed militia men. Father's name (adoptive father) is Ekatom Saragba (also spelled Yekatom Saragba). Brother of Yves Saragba, an anti-Balaka commander in Batalimo, Lobaye province, and a former FACA soldier. Physical description: eye colour: black; hair colour: bold; complexion: black; height: 170cm; weight: 100kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

CFi.006 Name: 1: OUMAR 2: YOUNOUS ABDOULAY 3: na 4: na
Title: na Designation: Former Séléka General DOB: 2 Apr. 1970 POB: na Good quality a.k.a.: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui Low quality a.k.a.: na Nationality: Sudan Passport no.: CAR diplomatic passport no. D00000898, issued on 11 Apr. 2013 (valid until 10 April 2018) National identification no.: na Address: a) Bria, Central African Republic (Tel. +236 75507560) b) Birao, Central African Republic c) Tullus, Southern Darfur, Sudan (previous location) Listed on: 20 Aug. 2015 (amended on 20 Oct. 2015) Other information: Is a diamond smuggler and a three-star general of the Séléka and close confident of former CAR interim president Michel Djotodia. Physical description: hair colour: black; height: 180cm; belongs to the Fulani ethnic group. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

B. Entities and other groups

CFe.001 Name: BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
A.k.a.: a) BADICA/KARDIAM b) KARDIAM F.k.a.: na Address: a) BP 333, Bangui, Central African Republic (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be; website: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerp, Belgium Listed on: 20 Aug. 2015 Other Information: Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAIR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon).

[F. No. U. II/152/25/2014]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (Unp)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.